

16.01.23

पत्रावली आज पेक्षा हुई वकील पार्थी उपस्थित  
पत्रावली का अवलोकन अद्वयसन किया गया  
वकील पार्थी द्वारा उक्त प्रकरण 17/12/2021  
को प्रस्तुत किया गया एक वर्ष से अधिक  
की अवधि बीत जाने के उपरांत भी  
वकील पार्थी द्वारा विपार्थीगण की तलवी  
पूर्ण नहीं कराई गई है। इससे यह  
प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण में वकील  
पार्थी की कोई रुचि नहीं रही है। अतः  
उक्त प्रकरण तलवी के अभाव में  
आंगन आदेश 09 नियम 05 CPC  
के तहत खारिज किया जाता है।  
पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल  
दफ्तर है।

(मनी)

उपखण्ड अधिकारी  
मुजफ्फरगढ़

